छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 14@2014@परीक्षा@दिनांक 26/12/2014 **प्रकाशन की तिथि 31/12/2014**

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 15/01/2015 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 13/02/2015 रात्रि 11:59 बजे तक

ऑनलाइन परीक्षा की तिथि दिनांक 22/03/2015

महत्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15@01@2015 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 13@02@2015 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 14/02/2015 अपरान्ह 12:00 बजे से 20/02/2015 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
6. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

¼**1**½ भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के df"k foHkkx के अंतर्गत ^^lgk;d lapkyd] m|kfudh** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:–

स. क्र.	in rFkk foHkkx का नाम	कुल रिक्तियों की oxZokj la[;k				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से efgykvksa के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में fu%'kDrtu के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में Hkw-i-l- के लिए वर्गवार आरक्षित पद				;ksx
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
01	सहायक संचालक, उद्यानिकी df"k foHkkx	03	01	02	01	01	&	&	&	&	&	&	&	&	&	&	&	07
																	dqy ;ksx %&	**07**

egRoiw.kZ Vhi :–

1- inksa dh la[;k ifjorZuh; gSA

2- उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

3- fjfDr;ksa esa vkj{k.k %&

¼**i**½ उपर्युक्त तालिका के कालम नं. 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं।

¼**ii**½ NŸkhlx<+ jkT; ds mi;qDr Js.kh ds vfrfjDr vU; lHkh ¼NRrhlx<+ jkT; ds vukjf{kr ,oa NRrhlx<+ jkT; ds vfrfjDr vU; jkT; ds vH;FkhZ½ ds vkosnu vukjf{kr Js.kh ds vUrxZr vk,saxsA

4- परीक्षा योजना ifjf'k"V ^,d*] पाठ्यक्रम ifjf'k"V ^nks* एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी ifjf'k"V ^rhu* में उल्लेखित है।

5- vkuykbu vkosnu djus ds iwoZ vH;FkhZ fu;eksa dk voyksdu dj Lo;a lqfuf'pr dj ys fd mUgsa ijh{kk esa lfEefyr gksus dh ik=rk gS vFkok ughaA ;fn dksbZ vH;FkhZ ijh{kk ds fdlh Hkh pj.k esa vFkok ijh{kkQy ?kksf"kr gksus ds ckn Hkh vugZ ¼**Ineligible**½ ik;k tkrk gS vFkok mlds }kjk nh xbZ dksbZ Hkh tkudkjh xyr ikbZ tkrh gS rks mldh vH;fFkZrk@p;u ifj.kke fujLr fd;k tk ldsxkA

¼**2**½ in dk fooj.k ,oa osrueku%&

¼**i**½ in dk uke %& lgk;d lapkyd] m|kfudh

¼**ii**½ lsok Js.kh %– jktif=r&f}rh; Js.kh

¼**iii**½ osrueku :i;s %& 15600&39100 $ xzsM is 5400@&

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

¼**iv**½ ifjoh{kk vof/k %& चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 02 o"kZ की परिवीक्षा पर की जाएगी।

¼**3**½ vko';d 'kS{kf.kd vgZrk,a %&

Øe'k%

¼i½ उद्यानिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

egRoi.k ukV%&

¼i½ vH;Fkh d ikl mi;Dr vko';d 'k{kf.kd vgrkvk ,o vU; vgrkvk dk ^^iek.k&i=** vkuykbu vkonu dju grq fu/kkfjr vfre frfFk vFkok mld iwo ikIr dj fy;k gkuk pkfg,A vkuykbu vkonu dju dh vfre frfFk d ckn dh frfFk dk tkjh dh xbZ 'k{kf.kd vgrkvk ,o vU; vgrkvk d iek.k&i= ekU; ugh gkxA

¼ii½ vkuykbu vkonu d lkFk dkbZ Hkh iek.k i= layXu dju dh vko';drk ugh gA

¼4½ fu/kkfjr vk;q lhek %& अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2014 को 21 o"kZ से कम तथा 30 o"kZ से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 o"kZ होगी।

mPprj vk;q lhek e NRrhlx< 'kklu] lkekU; iz'kklu foHkkx }kjk le;≤ ij tkjh fd;s x;s funs'kks d rgr fuEukuqlkj NwV dh ik=rk gkxh%&

¼i½ यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

¼ii½ छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

¼iii½ ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके ifj.kkeLo:i mPPre vk;q lhek] rhu o"kZ ls vf/kd u gksA Li"Vhdj.k%&**NVuh fd;s x;s ljdkjh lsod** से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु vkonu nus dh rkjh[k ls vf/kd ls vf/kd rhu o"kZ iwo LFkkiuk e deh fd;s tkus d dkj.k lsokeqDr fd;k x;k gksA

¼iv½ ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी ijUrq blds ifj.kkeLo:i tks vk;q fudys og mPprj vk;q lhek ls rhu o"kZ ls vf/kd u gksA

¼v½ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

¼vi½ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–1–2–/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी rFkk ;g NwV vf/kdre 45 o"kZ dh vk;q lhek rd jgsxhA

¼vii½ स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की mruh dkykof/k rd NwV vkB o"kZ dh lhek d v/;k/khu jgrs gq, nh tk,xh] fdUrq fdlh Hkh n'kk e mudh vk;q 38 o"kZ ls vf/kd ugha gksuh pkfg,A

¼viii½ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये mPprj vk;q lhek e 5 o"kZ dh NwV gksxhA

¼ix½ आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

¼x½ jkT; ¼vFkkZr~ NRrhlx< jkT;½ e iqjLd`r "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

¼xi½ छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। ;g NwV vf/kdre 38 o"kZ dh vk;q lhek rd jgsxhA

egRoi.k Vhi%&

¼i½ छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर fnukad 15-06-2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर fnukad 27-09-2013 में दिए गए निर्देश के अनुसार NRrhlx< jkT; d LFkkuh; fuoklh vH;fFk;k d fy, vf/kdre vk;q ,d ckj d fy, 35 o"kZ d LFkku ij 40 o"kZ gksxh, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली lHkh izdkj dh NwVk dk lfEefyr dju d ckn 'kkldh; lok e fu;qfDr grq vf/kdre vk;q 45 o"kZ ls vf/kd ugha gksxhA

¼ii½ vk;q dh x.kuk fnukad & 01-01-2014 के संदर्भ में की जाएगी।

¼5½ vH;Fkh vkuykbu vkonu dju d igy foKkiu e nf'kZr vko';d 'k{kf.kd vgrkvk ,o vk;q d vuq:i viuh vgrk dh tkp dj Lo;a lqfuf'pr dj ys ,o vgrk dh leLr 'krk dk ijk dju dh fLFkfr l i.kr;k lrq"V gkus ij gh o vkonu&i= HkjsA परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा p;u d fdlh Hkh Lrj ij vH;Fkh d vugZ ik;s tku ij mldk vkonu&i= fcuk dkbZ lpuk fn;s fujLr dj mldh vH;fFkZrk lekIr dj nh tk,xhA

¼6½ lR;kiu dk d iwo okafNr nLrkost dk iLrqr fd;k tkuk%& साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

¼i½ आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

¼ii½ विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

¼iii½ पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण–पत्र यथा–स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ। vH;Fkh ;g lqfuf'pr dj y fd vkofnr in grq okafNr vko';d 'k{kf.kd vgrkvk ,o vU; vgrkvk

Øe'k%

l lcf/kr i.ek.k i= vk;kx dk vkuykbu vkonu i= Hkjus dh vfre frfFk rd vko';d :i l iklr dj fy;k gA vkuykbu vkonu djus dh vfre frfFk ds ckn dh frfFk dk tkjh dh xbZ mikf/k@vU; i.ek.k i= ekU; ugha fd;k tk,xkA

¼iv½ tkfr i.ek.k i= %&

¼a½ यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो l{ke ikf/kdkjh }kjk tkjh LFkk;h tkfr i.ek.k&i= iLrqr djuk gkxkA

¼b½ अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

¼c½ अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

¼d½ ;fn fu/kkfjr mPprj vk;q lhek esa NwV pkgh xbZ gS rks fuEu nLrkost@i.ek.k i= vfuok;Zr% iLrqr djsa%&

¼i½ तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

¼ii½ विज्ञापन की कंडिका – 4¼i½, 4¼ii½, 4¼iii½, 4¼iv½, 4¼vi½, एवं 4¼vii½ के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

¼iii½ विज्ञापन की कंडिका – 4¼viii½ के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

¼iv½ विज्ञापन की कंडिका – 4¼ix½ के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

¼v½ विज्ञापन की कंडिका – 4¼x½ के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए **शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार** प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

¼vi½ विज्ञापन की कंडिका – 4¼xi½ के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव** का प्रमाण–पत्र।

¼7½ fu;kDrk dk vukifRr i.ek.k&i= %&

¼i½ यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

¼ii½ यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

¼iii½ यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

¼8½ vkijkf/kd vfHk;kstu %&

(A) ,sls vH;FkhZ dk vkijkf/kd vfHk;kstu ds fy, nks"kh Bgjk;k tk,xk ftls vk;kx us fuEufyf[kr ds fy, nks"kh ik;k gk%&

¼i½ जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

¼ii½ पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

¼iii½ किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

¼iv½ फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

¼v½ चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

¼vi½ परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

¼vii½ ijh{kk@lk{kkRdkj d{k esa vuqfpr lk/kuksa dk mi;kx fd;k gks ;k djus dk iz;kl fd;k gks] ;k

¼viii½ परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

¼ix½ प्रवेश–पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

¼x½ परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

¼xi½ NRrhlx<+ ykd lok vk;kx ds Hkou ifjlj@ijh{kk dsUnz ifjlj esa ekckby Qksu@lapkj ;a= ifrca/k dk mYya?ku fd;k gkA

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी–

¼i½ आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

¼ii½ उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा–

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि–

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

¼9½ vugZrk%& छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

¼i½ कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो

Øe'k%

जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

¼ii½ कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

¼iii½ कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

¼iv½ कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

¼v½ कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

¼vi½ कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

¼10½ p;u izfØ;k %& विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं vFkok उच्च योग्यताओं vFkok दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ''केवल'' साक्षात्कार द्वारा vFkok ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

Vhi %& ;fn foKkfir in gsrq izkIr vkosnu i=ksa dh la[;k vf/kd gksrh gS rks fuEukuqlkj p;u fd;k tk,xk%&

¼i½ उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

¼ii½ परीक्षा योजना ifjf'k"V&^,d* एवं पाठ्यक्रम ifjf'k"V&^nks* में दिया गया है।

¼iii½ ऑनलाइन परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा।

¼11½ vkWuykbu vkosnu gsrq vkosnu 'kqYd %&

¼i½ छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं, के लिए रूपये 300@& (रूपये तीन सौ) एवं शेष सभी श्रेणी के लिए तथा छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400@& (रूपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

¼12½ vkWuykbu ijh{kk ds lEca/k esa %& (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

¼i½ आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

¼ii½ अभ्यर्थी आयोग को ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न–पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न–पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 15 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

¼13½ ;k=k O;; dk Hkqxrku %&

¼i½ छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

¼ii½ **lk{kkRdkj ds fy;s** – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार dafMdk 13¼i½ में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

¼14½ foKfIr esa mYysf[kr 'krsZa@egRoiw.kZ funsZ'k@tkudkjh vkfn dk fuoZpu ¼Interpretation½%&

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/–
lfpo
NRrhlx<+ yksd lsok vk;ksx]
jk;iqj

ifjf'k"V & ,d

"ijh{kk ;kstuk"

¼1½ चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण ऑनलाइन परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

ऑनलाइन परीक्षा	–	300 अंक
साक्षात्कार	–	30 अंक
dqy	&	330 vad

¼2½ vkuykbu ijh{kk&

¼i½ ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा:–

iz'u i=

iz'uksa dh la[;k 150 3%00 ?kaVs vad 300

भाग 1 – छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान	–	50 प्रश्न (100 अंक)
भाग 2 – उद्यान विज्ञान	–	100 प्रश्न (200 अंक)
dqy	&	150 iz'u ¼300 vad½

¼3½ ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये पांच संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, द और इ में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स, द या इ में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

¼4½ प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक प्राप्त होंगे। अभ्यर्थी केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दें जिनके संबंध में वे आश्वस्त हों कि वह उत्तर सही है, क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर पर एक अंक कम किया जाएगा। (कुल प्राप्त अंक (2R-W) होंगे जहां R = सहीं उत्तरों की संख्या एवं W = गलत उत्तरों की संख्या)

* किसी प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी।

¼5½ प्रश्न पत्र का भाग–1 एवं भाग–2 हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम में होगा।

¼6½ पाठ्यक्रम की जानकारी ifjf'k"V&nks में दी गई है।

¼7½ ऑनलाइन परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे।

¼8½ lk{kkRdkj%& साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।

¼9½ lk{kkRdkj के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

¼10½ p;u lwph%& उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

□□□□□

परिशिष्ट-दो

^^पाठ्यक्रम^^

"प्रश्नपत्र"

भाग-1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशायें।
3. छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढ़ांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं।

Part-1 General Knowledge of Chhattisgarh

1. History of Chhattisgarh and contributions of Chhattisgarh in freedom sruggle.
2. Geography, water, mineral resources, climate and physical conditions.
3. Literature, music, dance, art and culture of Chhattisgarh.
4. Tribals, dialects, teej and festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, forest and agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative structure of Chhattisgarh, local government and Panchayati Raj.
7. Human Resources and energy resources in Chhattisgarh.
8. Education, health and contemporary events in Chhattisgarh.

भाग-2 उद्यान विज्ञान

1- m|ku foKku dk eYHkkr fl)kr ,o m|kfudh Qlyk dh vFkZdh] ikS/k i kS/ku rFkk ik"k.k%& उद्यानिकी फसलों की अर्थिकी, उत्पादन और रोजगार सृजन, विभिन्न उद्यानिकी फसलों की सिंचाई आवश्यकताओं का आकलन एवं सिंचाई के विभिन्न प्रकार, कटाई एवं छटाई, उनके उद्देश्य एवं विधियां। परागण और फ्रूट सेट (Fruit set), समस्याऐं एवं आवश्कताऐं, फूल व फल झड़न, उनकी अवस्थाऐं, कारण और उपचार विधियाँ, फल विरलन, उनका उद्देश्य, लाभ और नुकसान, अफलन उसका कारण और उपचारात्मक क्रियाऐं, वाणिज्यिक नर्सरी के लिए स्थल चयन, पारिस्थितिकी और आर्थिक कारक, लैंगिक और अलैंगिक प्रवर्धन एवं इसके महत्व, फल उत्पादन में मूलवृंत की भूमिका, प्रर्वधन में वृद्धि नियामकों की भूमिका, पौधों की सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व, छ.ग. में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख उद्यानिकी यंत्र।

2- m|kfudh Qlyk dh 'kL; fØ;k,& Qy] lkx&lCth] Qy] vk"k/kh;] lx/k ik/k ,o elkyk Qly%& उद्यानिकी फसलों की क्षेत्राच्छादन, उत्पादन, महत्व, उपयोग, उत्पत्ति, वितरण, वनस्पति विज्ञान, किस्मों का वर्गीकरण, मूलवृंत का उपयोग सघन बागवानी (HDP), जलवायु मृदा, रोपण की विधियाँ, कटाई एवं छटाई, पोषण, सिंचाई का समय निर्धारण, अन्तरवर्तीय फसल, खरपतवार नियंत्रण, फलोद्यान प्रबंधन में समस्याऐं। पुष्पन, फ्रूटसेट, फ्रूटसेट में समस्याऐं तथा निराकरण, कटाई सूचकांक, कटाई, कटाई पूर्व उपचार, वृद्धि नियामकों का प्रयोग, उपज, आंतरित तथा निर्यात बाजार के लिए ग्रेडिंग तथा पेकिंग, फल पकाने की विधि एवं फल भण्डारण की विधियाँ। नीबूवर्गीय फसलें, आम, आंवला, बेर, केला, अंगूर, अनानास, अमरूद, पपीता, चीकू एवं अनार, प्लान्टेशन क्रॉप– नारियल, काजू, ऑयल पॉम, काफी, चाय, सूपाडी एवं रबर। सब्जियों की खेती– टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, भिण्डी, खीरा, कुम्हड़ा, तरोई, गिलकी, करेला, लौकी, तरबूज, खरबूज, ग्वार, राजमा, सेम, मटर, ब्राडबीन, पत्तागोभी, मूली, गाजर, शलजम, चूकंदर, प्याज, लहसून, शकरकंद, कसवा, जिमीकंद, अरबी, रतालू एवं पालक। बहुवर्षीय सब्जियाँ जैसे– सहजन (मूनगा), कुंदरू एवं परवल, फूलों की खेती– गुलाब, सेवंती, चमेली, करनेशन, ग्लोडिओलस, एनथोरियम, रजनीगंधा, चॉयना ऐस्टर, गेंदा, क्रोजेण्ड्रा एवं जरबेरा, औषधीय एवं सुगंधित फसलें– एलोवेरा, अश्वगंधा, रतालू, सर्पगंधा, एसबगोल, फाक्स ग्लोव, सेना, कोलियस, सफेद मूसली, सतावर, सिट्रोनेला, नीबू घास, पामारोजा, बीटीवर एवं जिरेनियम, मसालें वाली फसलें– हल्दी, अदरक, धनिया, मेथी, इलाईची, काली मिर्च लौंग एवं जीरा इत्यादि उद्यानिकी फसलों का सफल खेती।

3- Qyk ,o lfCt;k dk lj{k.k%& संरक्षण के सिद्धांत एवं विभिन्न विधियाँ कैनिंग, बाटलिंग, फ्रीजिंग, सुखाना, डिब्बाबंद उत्पादों को नुकसान पहुँचाने वाले सूक्ष्मजीव, डिब्बाबंद उत्पादों का खराब होना एवं खराब होने से रोकने के उपाय।

4- ikni dkf;dh] of)fu;ked ,o gkekU l%& पादप वृद्धि कारक तत्व एवं उनका वर्गीकरण, आक्सीन, जिबरेलिन, साईटोकाइनीन, इथिलिन, वृद्धि अवरोधक एवं संदपक के इतिहास, उपलब्धता, मोड ऑफ ऐक्शन, मूवमेंट, क्रियाविधि तथा उनके कार्य एवं उपयोग।

5- ik/k lj{k.k%& बागवानी फसलों के प्रमुख रोग, कीट–व्याधि एवं उसकी उपचार विधियाँ तथा समन्वित कीट–व्याधि प्रबंधन।

6- lj f{kr [krh%& बागवानी फसलों के ग्रीन हाउस प्रबंधनः– महत्व, उपयोग, क्षेत्र एवं उत्पादन, ग्रीन हाउस स्थापना हेतु आवश्यक घटक, प्रकाश, तापक्रम (हीटिंग व कूलिंग), CO_2 एवं सापूक्षिक आर्दता का प्रबंधन, बागवानी फसलों के उगाने के लिए विभिन्न प्रकार के मिडिया की उपर्युक्तता, फर्टीगेशन के माध्यम से पोषक तत्वों का प्रबंधन।

7- vydr ,o yUMLdki ckxokuh%& अलंकृत वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं का अध्ययन, कैक्टस, सकूलेन्ट एवं बोनसाई का अध्ययन, उद्यानों के डिजाइन के सिद्धांत, उद्यानों के प्रकार, उद्यानों के विभिन्न विशेषताओं जैसे की रास्ते, दीवार, घेराबंदी, सीढ़ियाँ, ऐजस, हेजस, आरचेस, परगोला, श्रब्रेरी, टापयरी, रॉकयरी, फूलों की नर्सरी, लॉन, फॉउनटेन, मूर्ति, जल, उद्यान, कन्जरबेटरी और ग्रीन हाउस, इनडोर पौधे और उनका प्रबंधन, पुष्प व्यवस्था सिद्धांत, शैली, कन्टेनर तथा होलडिंग सोल्यूशन।

8- 'k"d m|kfudh] ty xg.k {k= ic/ku vkj lkekftd ,o i{k= okfudh%& शुष्क उद्यानिकी में बागवानी फसलों का महत्व एवं उनकी उपज क्षमता शुष्क उद्यानिकी के लिए उपर्युक्त फल एवं सब्जियों की खेती, शुष्क उद्यानिकी फसलों के सुखा एवं लवणीयता अवस्था में अनुकूलन की विशेषताऐं। बेर, अनार, सीताफल, फालसा, अंजीर, आंवला, जामून एवं ईमली के उद्यानिकी कार्यमाला जैसे– पौधरोपण, कटाई एवं छटाई पोषक तत्व, जल एवं कीट–व्याधि प्रबंधन तथा कटाई का महत्व। प्रक्षेत्र वानिकी, उद्देश्य, महत्व एवं आवश्यकताऐं, वींड ब्रेक एवं शेल्टर बेल्ट, प्रक्षेत्र वानिकी के प्रकार।

9. प्रजनन के सिद्धांत, अनुवांशिकता एवं विविधता, मेण्डल का वंशागति का नियम उत्परिवर्तन, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फलों, सब्जियों एवं मसालों के लिए प्रजनन विधियाँ।

Øe'k%

10. कृषि विज्ञान के लिए सांख्यिकी विधियाँ, आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, व्याख्या, प्रोब्रेलिटि, टेस्ट ऑफ सिग्नीफिकेन्स, रिगरेशन, उद्यानिकी फसलों के एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोग होने वाले डिजाइन एवं विश्लेषण।

Part-2 HORTICULTURE

1. FUNDAMENTALS OF HORTICULTURE, ECONOMY & PLANT PROPAGATION, NUTRITION OF HORTICULTURAL CROPS.

Economy, production, and employment generation. Assessment of irrigation requirements for different horticultural crops and different methods of irrigation. Pruning and training, their objectives and methods. Pollination and fruit set and their control problems and requirements, flower and fruit drop, stages, causes and remedial measures. Fruit thinning, objectives, advantages and disadvantages. Unfruitfulness, reasons and remedial measures. Selection of site for commercial nursery. Ecological and economic factors. Sexual and asexual propagation and its importance. Role of rootstocks in fruit production. Role of growth regulators in propagation. Importance of micro propagation of plants. Common horticultural implements and tools used in Chhattisgarh.

2. CULTIVATION OF HORTICULTURAL CROPS : FRUIT, VEGETABLE, FLOWER, MEDICINAL, AROMATIC, SPICES & CONDIMENTS CROPS.

Area, production, importance, uses, origin, distribution, botany, classification of varieties, use of rootstocks, high density planting, climate, soils, planting methods, training and pruning, nutrition, irrigation scheduling, intercrops, weed control, problems in orchard management, flowering, fruit set, problems in fruit set, harvesting indices, harvesting, preharvest treatments, use of growth regulators, yield, grading, packing for internal and export markets, ripening methods and storage in respect of Fruits like citrus spp., mango, banana, anola, ber, pomegranate, grape, pineapple, guava, papaya and sapota. Plantation Crops Lime, Coconut, cashewnut, oil palm, coffee, tea, arecanut and rubber. In vegetable crops like tomato, brinjal, chillies, potato, okra, cucurbitaceous crops like cucumber, pumpkin, ridege gourd, snake gourd, bitter gourd, bottle gourd, water melon, must melon, cluster bean, French bean, dolichos bean, pea, broad bean, cabbage, cauliflower, knolkhol, radish, carrot, beetroot, turnip, onion, garlic, sweet potato, tapioca, amorphophallus, colacasia, dioscorea, yam, amaranthus, palak, Roselle, perennial vegetables like drumstick, coccinia and poited gourd. Flower crops such as rose, chrysanthemum, jasmine, carnations, gladiolus, anthurium, tuberose, china aster, marigold, crossandra and gerbera. Medicinal and aromatic crops such as Aloe, aonla, ashwagandha, dioscorea, sarpangandha, isabgol, fox glove, senna, coleus, safed musli and asparagus. Citronella, lemon grass, palmarosa, vettiver, geranium, mint. Spices and condiments Turmeric, ginger, coriander, fenugreek, cardamom, pepper, cinnamon, clove and cumin.

3. PRESERVATION OF FRUITS AND VEGETABLES.

Principles of preservation various methods of preservation Preservation of fruits and vegetables through canning, bottling, freezing, dehydration, drying. Micro-organisms associated with spoilage of fruit and vegetable products. Spoilage of canned products and precautions.

4. PLANT PHYSIOLOGY, GROWTH REGULATION & HARMONES

Plant growth substances and their classification. History, occurrence, distribution, mode of action, movement, mechanism of action and function of auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene, inhibitors, retardants, phenolic substances and morphactins. Role of plant growth regulators and their use.

5. PLANT PROTECTION

Commonly occurring diseases, Insect pest and their control measures and Integrated pest management of Horticultural crops.

6. PROTECTED CULTIVATION

Greenhouse management of horticultural crops Importance, uses, scope and production of horticultural crops in greenhouse. Points to be considered before establishing a greenhouse. Management of light, temperature (greenhouse heating and cooling), CO_2 and relative humidity inside the greenhouse. Various types of growing media used and their suitability for different horticultural crops. Management of nutrients through fertigation.

7. ORNAMENTAL GARDENING AND LANDSCAPE ARCHITECTURE

Study of ornamental trees, shrubs and climbers used in bioaesthetic or landscape gardening. Study of cacti, succulents and bonsai. Principles of garden designs, types of gardens-Various features of gardens such as paths, garden walls, fencing, steps, edges, hedges, arches, pergolas, shrubbery, topiary, rockery, flower beds, lawns, fountains, statues, water garden, conservatory and glass or greenhouse. Indoor plants, and their management. Flower arrangement ï principles, styles, containers and holding solutions.

8. DRY LAND HORTICULTURE AND WATERSHED MANAGEMENT & SOCIAL AND FARM FORESTRY

Dry land horticulture farming, introduction, to India in general and C.G. in particular. Importance of horticultural crops in dry land, yield potential of agriculture and horticulture crops in dry lands. Fruits and vegetables crops suitable for dry land farming. Adaptive features of dry land fruit crops for drought and salinity. Watershed management. Cultural practices like planting, training, pruning, nutrition and water management and harvesting of important dry land fruits viz., ber, pomegranate, custard apple, phalsa, fig, aonla, jamun and tamarind. Farm forestry ï objectives and role, need for shelter belts and wind breaks, types of farm forestry.

9. Breeding principles, heredity and variation mendelôs law of inheritance , mutation & breeding methods of different tropical & subtropical fruits, vegetables and spices crops.

10. Statistical methods for Agriculture applied science, data presentation, Analysis, Interpretation, Probability, Test of Significance and Regression. Experimental design specially used in horticultural experiment and its analysis.

□□□□□

परिशिष्ट - तीन

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

vkWuykbu vkosnu djus ds lEca/k esa vko';d funsZ'k fuEukuqlkj gSa&

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

vkWuykbu vkosnu gsrq lfØ; fyad osclkbV **www.psc.cg.gov.in** ij fu/kkZfjr frfFk;ksa esa miyC/k jgsxkA

vkWuykbu vkosnu esa mls vkids lEcaf/kr dk jksy uacj ftlls vkosnd }kjk tUefrfFk ds iek.k Lo#i vk;kx ds le{k iLrqr fd;k tk,xk] vkosnd }kjk Lo;a ifof"V fd;k tk,A ;g jksy uacj fdlh Hkh 0;fDr dks u crk,] **Edit** dh lqfo/kk gsrq ;g jksy uacj ikLoMZ dh rjg iz;qDr gksxkA

¼1½ आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

¼2½ **Help Desk Number - 9981996587, 9981996597** vkWuykbu vkosnu ls lacaf/kr vU; fdlh lgk;rk ds fy, mDr uacjksa ij laidZ fd;k tk ldrk gSA

¼3½ vkWuykbu vkosnu gsrq iz;qDr fd, tkus okys vkosnd ds QksVksxzkQ lca/kh funsZ'k& आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु foKkiu tkjh gksus dh frfFk या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

¼4½ आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन के इस परिशिष्ट के पृष्ठ क्रमांक 3 पर निर्धारित बॉक्स के अंदर अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाकर फोटो के नीचे हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स के अंदर काले बॉल पॉइन्ट पेन से इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि वह स्पष्ट हो तथा हस्ताक्षर का कोई हिस्सा बॉक्स के बाहर न जाए। फोटो व हस्ताक्षरयुक्त उक्त पेज को इस प्रकार स्केन करें कि स्केन की हुई इमेज में फोटो तथा हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स को कन्टेन/समाहित करने वाले बॉक्स के बाहर का हिस्सा स्केन न हो। उक्त प्रकार से स्केन की हुई इमेज को **jpg** फारमेट में **save** करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन की हुई इमेज का साईज 100Kb से अधिक न हो।

¼5½ आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को पूरा करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन के निचले हिस्से में स्थित **Browse** बटन को क्लिक कर फोटो व हस्ताक्षर अटैच करना होगा। **Browse** बटन दबाने पर आवेदक को स्केन कर **save** की हुई **jpg** इमेज का **address** सेलेक्ट कर **Ok** बटन दबाना होगा।

¼6½ ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सहीं–सहीं प्रविष्टि की जाए।

¼7½ vk;ksx }kjk vkWuykbu vkosnu djus dh izfØ;k esa ;g le> fy;k x;k gS fd] vkosnd }kjk tks tkudkjh vkWuykbu vkosnu esa vafdr dh tk jgh gS og izek.kr tkudkjh gSA vr% vkWuykbu vkosnu **Submit** djus ds iwoZ vkosnd viuk vkosnu dh leLr izfof"V;ksa dks lko/kkuhiwoZd HkyhHkkafr i<+ ,oa le> ysaA vkosnd viuk }kjk nh xbZ tkudkjh ls larq"V gksus ds i'pkr~ gh vkWuykbu vkosnu dks **Submit** cVu fDyd dj tek djs rFkk vkosnu 'kqYd vnk djsaA

¼8½ ऑनलाइन आवेदन **Submit** करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद स्वतः खुलने वाले **Page** पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ–साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त **Page** पर उपलब्ध **Print** बटन को क्लिक कर आवेदन की रसीद का प्रिंटआउट प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

¼9½ ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार शुल्क के रुप में अभ्यर्थी को रुपये 30/– का भुगतान करना होगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। vafre frfFk ds i'pkr~ vkWuykbu vkosnu dh izfof"V esa fdlh Hkh izdkj dk la'kks/ku ugha fd;k tk,xk rFkk bl lca/k esa vk;ksx fdlh Hkh vH;kosnu ij fopkj ugha djsxkA आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रुटि सुधार पश्चात् प्राप्त आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक द्वारा किया गया त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा।

vkosnd ;g /;ku j[ks fd foKkfir in ds vkosnu i= esa gksbZ fdlh Hkh =qfV dk lq/kkj p;u ds fdlh Hkh Lrj ij ugha fd;k tk ldsxkA vr% vH;FkhZ viuk vkosnu vR;ar lko/kkuh iwoZd HkjsA ;fn fQj Hkh dksbZ =qfV gksrh gS rks =qfV lq/kkj vof/k esa okfNr lq/kkj dj ysaA

¼10½ vkWuykbu vkosnu@=qfV lq/kkj gsrq iksVZy 'kqYd %&

¼i½ प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 35@& रुपये देय होगा।

¼ii½ ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा 30/– रुपये का त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। एक आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

¼iii½ प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क रुपये 30/– के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

¼iv½ परीक्षा शुल्क, त्रुटि सुधार शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन संबंधी शुल्क जमा करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी

ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति में आवेदन तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान आवेदक स्वयं क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग के माध्यम से कर सकता है।

¼1½ **आवेदन व परीक्षा शुल्क भरने की विधि :&**

आवेदक **www.psc.cg.gov.in** वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए vkosfnr in gsrq vkWuykbu vkosnu ls lacaf/kr fyad dks fDyd dj विशेष वेब पेज पर जा सकते हैं जिस पर ऑनलाइन प्रक्रिया से सम्बंधित निम्न **Links** उपलब्ध होंगे–

Click here to View/Print Advertisement
Click here to Apply Online
Click here to know your Application No.
Click here to Edit Unpaid Application
Click here to Pay for Unpaid Application
Click here to View/Print Dupplicate Reciept

Øe'k%

Click here for Editing in Online Application
Click here to View/Print List of Rejected Applications
Click here to View/Print Online Admit Card

आवेदक आवेदन भरने से पहले **Click here to View/ Print Advertisement** को क्लिक कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें, इसके उपरांत ही आवेदक **Click here to Apply Online** को क्लिक करें। इसके बाद आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को आवेदन में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है।

आवेदक को फार्म पर नीचे की ओर एक बटन **Browse** दिखाई देगा। इसके माध्यम से आवेदक को अपना नवीनतम फोटो, हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। अटैचमेंट के संबंध में विस्तृत जानकारी इस परिशिष्ट के पृष्ठ क्रमांक 3 पर दी गई है।

आवेदक आवेदन पूर्ण रुप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी दी गई है वह सही है। यदि आवेदन में कोई गलत जानकारी दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन नंबर प्राप्त होगा। आवेदक आवेदन क्रमांक को नोट कर लेवें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद भी यदि आवेदक ने शुल्क का भुगतान न किया हो तो वे **Click here to Edit Unpaid Application** लिंक को **Click** कर अपनी प्रविष्टियों में सुधार कर सकते हैं। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगेः–

i. क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड
ii. इंटरनेट बैंकिंग

¼i½ ØfMV dkM@MfcV dkM ds ek/;e ls ijh{kk 'kYd dk Hkxrku%& आवेदन भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान सूची में शामिल किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर **Citizen Option** को **Click** करना है जिससे एक **Window Open** होगा उसमें **Guest User** को **Select** कर **Process Button Click** करना है। इसके बाद बैंक का नाम तथा कार्ड का प्रकार चुनने का विकल्प दिखाई देगा उचित चयन के पश्चात बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत **Confirm** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। रसीद पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी का उल्लेख होगा। आवेदक इस रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास संभालकर रखें। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो अन्यथा आपका आवेदन आयोग को प्राप्त नहीं होकर स्वयमेव निरस्त हो जाएगा।

¼ii½ bVjuV cfdx ds ek/;e ls ijh{kk 'kYd dk Hkxrku%& परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से भी किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक अपना आवेदन भरने के उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर **Citizen Option** को **Click** करना है जिससे एक **Window Open** होगा उसमें **Guest User** को **Select** कर **Process Button Click** करना है। इसके बाद यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी, पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर रसीद दिखाई देगी। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो अन्यथा आपका आवेदन आयोग को प्राप्त नहीं होकर स्वयमेव निरस्त हो जाएगा। आवेदक इस रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास संभालकर रखें।

(कार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा । आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैंकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।)

¼2½ ukV%&

¼i½ vkond jlhn e nh xb tkudkfj;k dk /;kuiod i<y vkj viu ikl lHkkydj j[kA

¼ii½ tkudkjh dh 'k)rk ,o lR;rk rFkk vkonu ifØ;k i.kZ dju dk ijk mRrjnkf;Ro vkond dk gkxkA

¼iii½ fdlh Hkh lkbcj dQ vFkok vU; lLFkk d ek/;e ls vkonu djr le; vkond vkuykbu vkonu dh ifd;k viuh fuxjkuh e gh djok,A vkuykbu vkonu e gbZ fdlh Hkh idkj dh =fV d fy, vkond lkbcj dQ vFkok vU; lLFkk vFkok vk;kx dk mRrjnk;h ugh Bgjk ldxA

¼3½ ,l vkonu Lohdkj ugh fd, tk,x ftUg vkuykbu Hkju d ckn fiV ydj NRrhlx< ykd lok vk;kx dk Mkd ;k fdlh vU; ek/;e ls Hkstk tk,xkA ijh{kk 'kYd d fy, fdlh Hkh idkj dk MkÝV Hkh Lohdkj ugh gkxkA ,lk dju ij vkonuk dk ekU; u djr g, fujLr dj fn;k tk,xk] vkj mldh ftEenkjh vkond dh gh ekuh tk,xhA

<u>iio'k i=@lk{kkRdkj grq cqykok i=%&</u>

¼1½ प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

¼2½ प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

¼3½ किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

¼4½ अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु *मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे–पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित* में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

¼5½ यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

Øe'k%

QkVk Lg gLrk{kj vVpeSaV gsrq vko';d funsZ'k

vkosnd fuEu ckWDl dk iz;ksx QksVks fpidkdj rFkk gLrk{kj dj Ldsu djus gsrq dj ldrs gSA bl ckr dk fo'ks"k /;ku j[kk tk, fd vkosnd isij ist dh Ldsfuax u djsA dsoy QksVks rFkk gLrk{kj ;qDr ckWDl dh gh Ldsfuax dh tk,A

vkosnd bl ckWDl ds vUnj viuk QksVks fpidk,sa →

Size : 4.5cm X 3.5cm

vkosnd bl ckWDl ds vUnj gLrk{kj djs →

Vhi%&

¼1½ ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले आवेदक के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश :— आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु foKkiu tkjh gksus dh frfFk या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद /हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि फोटोग्राफर द्वारा प्रिंट की हुई होनी चाहिए।

¼2½ आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व उक्त बॉक्स में निर्धारित बाक्स के अंदर अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाकर फोटो के नीचे हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स के अंदर काले बॉल पॉइन्ट पेन से इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि वह स्पष्ट हो तथा हस्ताक्षर का कोई हिस्सा बॉक्स के बाहर न जाए। आवेदक फोटो व हस्ताक्षरयुक्त उक्त पेज को इस प्रकार स्केन करें कि स्केन की हुई इमेज में फोटो तथा हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स को कन्टेन/समाहित करने वाले बॉक्स के बाहर का हिस्सा स्केन न हो। उक्त प्रकार से स्केन की हुई इमेज को **jpg** फॉरमेट में **save** करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन की हुई इमेज का साईज 100Kb से अधिक न हो।